न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या–अपील/टी.ए./2011/2007/धौलपुर

1– बंगाली पुत्र छोटेलाल कौम त्यागी निवासी मालोनी खुर्द तह0–सैपऊ, जि0–भरतपुर (मृतक नाम तर्क आदेश दिनांक 23–02–2018)
2– रूपसिंह पुत्र छोटेलाल कौम त्यागी निवासी मालोनी खुर्द तह0–सैपऊ, जि0–भरतपुर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1– लक्ष्मीधर पुत्र छोटेलाल जाति त्यागी निवासी मालौनी खुर्द तह0–सैपऊ,जि0–धौलपुर
2– राजस्थान सरकार

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री खजान सिंह, सदस्य
श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थितः–
श्री गौरव दवे, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री अजयपाल ढिढारिया, अधिवक्ता प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः 11–10–2022

अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या–86/2006 बउनवानी लक्ष्मीधर बनाम बंगाली व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15–02–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी वादीगण ने सहायक कलक्टर, धौलपुर के न्यायालय में एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 एवं 92 के अन्तर्गत प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मालौनी खुर्द स्थित आराजी खसरा नम्बर 764 वादीगण की खातेदारी की भूमि है तथा इस खसरा नम्बर के बगल में पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 761 वादीगण की खातेदारी का है। इस प्रकार प्रतिवादी की आराजी खसरा नम्बर 763 वादीगण की आराजी के बीच में है। खसरा नम्बर 764 व

761 पर जब वर्ष 1992 में प्रतिवादी ने कब्जा करना चाहा तो वादीगण ने एक वाद बंगाली बनाम लक्ष्मीधर प्रकरण संख्या 74/1992 पेश किया। दावा करने के उपरान्त प्रतिवादी ने विवादित आराजी की पूर्वी दिशा की मेड तोडकर 16फीट पूर्व पश्चिम दिशा तथा साढे 12फीट उत्तर दक्षिण दिशा की आराजी खसरा 764 की आराजी पर जबरन कब्जा करके पुख्ता निर्माण कर लिया, जिस बाबत् प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। वादीगण का उक्त वाद दिनांक 15–01–1998 को डिक्री किया जा चुका है परन्तु पारित निर्णय में वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर कोई विचार नहीं किया। इस कारण पुनः यह वाद वास्ते बेदखली पेश करना आवश्यक हो गया। अतः विवादित आराजी से प्रतिवादी द्वारा जबरन कब्जा कर किये गये निर्माण का ध्वस्त कराया जाकर कब्जा वापस वादीगण को दिलाया जावे तथा कब्जा करने से वाद के निर्णय के मध्य तक का नियमानुसार हर्जाना भी वादीगण को प्रतिवादी से दिलाया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा पेश वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए निर्माण अपने खसरा नम्बर 763 में किया जाना कथन करते हुए वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित छः तनकीयात कायम की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 30–12–2002 से वादीगण का वाद डिक्री करते हुए आराजी खसरा नम्बर 764 पर किये गये अतिक्रमण व निर्माण को दो माह की अवधि में स्वयं हटवाये जाने अन्यथा निर्माण व अतिक्रमण प्रतिवादी के खर्चे पर नियमानुसार राजकीय कार्यवाही कर तहसीलदार सैपऊ द्वारा हटावाये जाने तथा अतिक्रमित भूमि के लगान का 15 गुणा प्रतिवर्ष की शास्ती के हिसाब से प्रतिवादी से वादीगण को हर्जे का भुगतान अदा के आदेश पारित किये। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी लक्ष्मीधर ने अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15–02–2007 से आंशिक स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। इसी निर्णय के से व्यथित होकर वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस बहस सुनी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए मुख्य रूप से तर्क किया कि विचारण न्यायालय ने वादी का वाद समस्त तथ्यों एवं साक्ष्य का विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त डिक्री किया था, जिसे बिना उचित आधारों के रिवर्स

करने में अपीलीय न्यायालय ने कानूनी त्रुटि की है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय का आधार पैमाईश को बनाया है जबकि तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट दिनांक 20–7–2002 को तलब करने के उपरान्त विस्तृत विवेचन करते हुए वादी का वाद निर्णीत किया था, ऐसी स्थिति में प्रकरण में पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं थी और अपीलीय न्यायालय को गुणवगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था। पक्षकारों के मध्य मुख्य विवाद खसरा नम्बर 764 की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर है, जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार, सैपऊ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया था जिसकी पालना में प्रस्तुत पर्चा मौका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी की भूमि पर बिना अधिकार के अतिक्रमण किया जाना स्पष्ट है। अपीलीय न्यायालय का यह विधिक दायित्व था कि यदि वे परीक्षण न्यायालय के निर्णय से सहमत नहीं थे तो मूल वाद में कायम प्रत्येक तनकी पर विवेचन करते हुए निर्णय पारित करते किन्तु अपीलीय न्यायालय ने किसी भी तनकी पर विवेचन किये बिना प्रकरण को पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को बहाल रखा जावे।

5– विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क किया कि विचारण न्यायालय ने विवादित आराजी के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट मंगवाई और जो मौका रिपोर्ट आई, उस पर आपत्ति की थी कि रिपोर्ट गलत है और मनमाने तौर पर तैयार की गयी है तथा रिपोर्ट में यह भी नहीं बताया गया है कि कितनी जगह पर प्रतिवादी की दुकाने बनी हुई है। विवाद केवल 7–8फीट का है और पैमाईश सही नहीं थी, इसलिए दुबारा पैमाईश करवाई जानी चाहिए थी। विचारण न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए वादी का वाद डिक्री कर दिया और अपीलीय न्यायालय द्वारा पुनः विवाद के सही निस्तारण हेतु बन्दोबस्त विभाग से पैमाईश करवाई जाकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को सही तौर पर प्रतिप्रेषित किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया।

7– प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तनकीवार विनिश्चिय करते हुए खसरा नम्बर 761 व 764 वादीगण का व खसरा नम्बर 763 प्रतिवादी का होना और मौका पर्चा जांच रिपोर्ट प्रदर्श–पी–3 दिनांक 20–1–2002 की पुश्त पर अतिक्रमण को लाल स्याही से दर्शाया जाना बताया है और उक्त नक्शा मौका रिपोर्ट प्रदर्श–पी–3 के अनुसार दोनों पक्षों की मौजूदगी में उक्त नक्शा तैयार किया गया है। विचारण

न्यायालय प्रतिवादी ने मौका रिपोर्ट के बारे में आपत्ति की है लेकिन उक्त रिपोर्ट तहसीलदार, सैपऊ द्वारा हल्का पटवारी व गिरदावर के साथ तैयार की गयी है और रिपोर्ट की पुश्त पर लाल स्याही से दुकाने दिखाई गयी है और खसरा नम्बरान का भी उल्लेख किया है। रिपोर्ट बनाते समय वादी रूपसिंह बगाली व प्रतिवादी लक्ष्मीधर की उपस्थिति भी अंकित की गयी है और उक्त रिपोर्ट का गवाह बतौर साक्षी पी.डब्ल्यू.–3 रणधीरसिंह तहसीलदार उपस्थित हुआ है लेकिन उससे जिरह में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है जिससे यह प्रकट हो कि रिपोर्ट मौके के अनुसार नहीं हो और मनमानी तौर पर तैयार की गयी हो। अपीलार्थी ने प्रथम अपील न्यायालय में दुकाने बनी होना स्वयं ही मान रहा है। विचारण न्यायालय का निर्णय क्यों मानने योग्य नहीं है, अपील में भी ठोस कारण नहीं है। केवल पुनः मौका रिपोर्ट नहीं मंगाने की आपत्ति ली है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह उल्लेख किया है कि विवादित खसरा नम्बर 761, 763 व 764 की पैमाईश बन्दोबस्त विभाग द्वारा करवाई जाकर पुनः निर्णय पारित करें लेकिन बन्दोबस्त विभाग से पैमाईश करवाने की प्रार्थना तो अपीलार्थी की अपील में ही नहीं है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को उन्हीं परिस्थितियों में मामला रिमाण्ड किया जाना चाहिए था जब कोई अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता हो और उसके लिए तनकी बना कर ही मामला रिमाण्ड किया जाना चाहिए। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं बनाई गयी है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही मामला गुणावगुण पर विनिश्चय किया जाना आवश्यक है।

8– परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या–86/2006 में पारित निर्णय दिनांक 15–02–2007 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनकर और मूल वाद में कायम तनकीयात पर गुणावगुण के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए एवं उस पर निष्कर्ष देते हुए एक माह के भीतर पुनः निर्णय पारित करें।

9– पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के न्यायालय में दिनांक 15–11–2022 को उपस्थित रहे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(खजान सिंह)
सदस्य